न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

फर्द अहकाम

.....मोहम्मद व अन्य..... बनाम .....अन्य व अन्य.....

किस्म मुकदमा:- 223/कोटा मिसल न0 2021/254 / सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो किस हुक्म की तारीख में जारी हुए
23/8/23	अधिवक्ता अपीलांट उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. 1 से 5 उपस्थित। अधिवक्ता अपीलांट ने प्रार्थना पत्र वास्ते अपीलांट द्वारा पेश अपील को एक-तरफा खारिज फरमाने बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारों के मध्य कोई विवाद नहीं रह गया है, इस कारण अपीलांट उक्त अपील को एक तरफा करना चाहता है। अपीलांटगण श्री पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गई। अपीलांटगण व उनके अधिवक्ता श्री जगदीश खण्डेलवाल हाजिर। अधिवक्ता रेस्पो. 1 से 5 के अधिवक्ता श्री रामकल्याण शर्मा ने अपील पर हस्ताक्षर किये हैं अपील वापिस लेने का निवेदन किया। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एक तरफा स्वीकार किया जाता है तथा अधिवक्ता अपीलांट अपील वापिस लेने के निवेदन पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। पत्रावली बाद निर्णय खारिज दफ्तर हो व नकल अ क हो।	मोहम्मद नि: अ: नंदकि मोहम्मद नि: अ: गणेशीवाई पु. मु. [illegible] हंसराज [illegible] 9 [illegible] अर्थ: Advocate 23.08.23 (Tarachand Khandel) [illegible] अपील की तरफ से अपील as withdrawn [illegible] Tarachand Ad. 23.08.23 (Tarachand Khandel)

राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा